A.B.P. No. 205/2026

Laxmipur P.S. case no. 242/2025

Jitendra Kumar Vs. State of Bihar

12.03.2026 लक्ष्मीपुर थाना काण्ड संख्या–242/2025, जो भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(2), 318(4), 308(2), 352, 315(2), सभी सपठित धारा 3(5) एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(i)(r), 3(i)(s) से संबंधित है, के अभियुक्त **जितेन्द्र कुमार,** उम्र–35 वर्ष, पिता–पवितर यादव, निवासी ग्राम खिरभोजना, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 482 के अंतर्गत यह आवेदन इस काण्ड में गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर अग्रिम जमानत प्राप्ति हेतु दाखिल किया गया है।

कांड के सूचक सोहन कुमार पिता–वकील रजक द्वारा थानाध्यक्ष, थाना लक्ष्मीपुर को दिए गए लिखित आवेदन के अनुसार अभियोजन कथानक साररूप से इस प्रकार है कि जितेन्द्र कुमार पे0–पवितर यादव, निवासी ग्राम खिरभोजना, थाना लक्ष्मीपुर, जिला जमुई से वर्ष 2021 में संपर्क हुआ था। संपर्क के बाद जितेन्द्र कुमार द्वारा अपना ट्रैक्टर रजि0 नं0–BR-46G-3294 को बेचने की बात कही तो कीमत उसके खिरभोजना स्थित घर पर चार लाख रूपया तय हुआ जिसमें उसके द्वारा चार लाख रूपया फोन–पे एवं कैश के रूप में उसके घर पहुंचाया गया। इस संबंध में स्कीन सॉट साक्ष्य के रूप में पत्र के साथ संलग्न है। उक्त राशि लेने के बाद दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद अभी तक ना ही गाड़ी दिया और ना ही रूपया वापस किया। जितेन्द्र कुमार आर्मी में नौकरी करता है। जितेन्द्र कुमार से रूपया मांगने पर धमकी देता है और कहता है कि ''जो करना है करो, मैं रूपया नहीं दूंगा।'' साथ ही साथ यह भी कहता है कि रूपया वर्दी वाले को पैसा दिया है, रंगदारी समझ लो, रूपया नहीं मिलेगा। इस संबंध में पूर्व में लक्ष्मीपुर थानाध्यक्ष महोदय, द्वारा थाना के माध्यम से जितेन्द्र कुमार को थाना पर बुलाकर पैसा वापस करने की बात कहे तो जितेन्द्र यादव द्वारा एक सप्ताह के अंदर पैसा वापस करने का अश्वासन दिया गया। उस समय करीब एक माह बीत जाने के बाद भी जब वह रूपया वापस नहीं किया तो वह थकहार कर दिनांक–08.09.2025 को जितेन्द्र कुमार के घर पर गया तो जितेन्द्र कुमार घर पर नहीं मिला। उसका मोबाईल सं0–7078633679

पर फोन किया तो नहीं उठाया। जितेन्द्र कुमार के बारे में उसके घर में उनके पिता पवितर यादव से पूछे तो बोला क्या बात है, इस पर वह बोला कि आपका बेटा जितेन्द्र कुमार उसका पैसा दो वर्ष पूर्व लिया है, वो नहीं दे रहा है ''जितेन्द्र यादव कहा है, मेरा पैसा दिलवा दीजिए।'' इस पर पवितर यादव एवं जितेन्द्र यादव के भाई राहुल कुमार यादव ने उसके साथ मारपीट करने लगा और जाति सूचक गाली गलौज करते हुए कहने लगे कि साला धोबी तुम उसके घर पर आकर पैसा मांगने की हिम्मत कैसे किया। उसका बेटा जो पैसा लिया है उसे रंगदारी समझकर भूल जाओ, पैसा अब नहीं मिलेगा। यदि दुबारा उसके घर आये तो जान मार देंगे।

जमानत आवेदन में साररूप से कथन किया गया है कि आवेदक अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत आवेदन ना ही सत्र न्यायालय में और ना ही माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल किया गया है। जमानत आवेदन में आगे कथन है कि आवेदक अभियुक्त का कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त निर्दोष है तथा उसने ऐसा कोई अपराध नहीं किया है। जमानत आवेदन में आगे कथन किया गया है कि प्राथमिकी के सूचक सोहन कुमार का दावा है कि अभियुक्त जितेन्द्र कुमार ने सूचक से चार लाख रूपया लिया, जिसे देने में अभियुक्त जितेन्द्र विफल रहा है जबकि अभियुक्त जितेन्द्र कुमार ने दिनांक 24.02.2023 को पचास हजार रूपये, दिनांक–26.02.2023 को पचास रूपये एवं दिनांक–24.03.2023 को चालीस हजार रूपये सूचक सोहन के खाता में तथा दिनांक–12.06.2023 को पचास हजार रूपया सूचक के बहनोई नवीन कुमार रजक के खाते में भुगतान किया है। राहुल कुमार ने दिनांक–16.01.2024 को बीस हजार रूपये एवं दिनांक–25.01.2025 को पांच हजार रूपया प्रिया कुमारी के खाते में किया है, जो कि सूचिका की पत्नी है। दो लाख पन्द्रह हजार रूपये की राशि इलेक्ट्रनिक रूप से खाते में स्थानांतरित की गई थी और शेष बीस हजार रूपया ब्याज संहित नगद भुगतान किया था, इसलिए बी0एन0एस0 की सभी धाराएं आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध लागू नहीं होता है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत आवेदन में उल्लिखित आधार

पर आवेदक अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान करने का अनुरोध किया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध किया। उनका कथन है कि लगा आरोप गम्भीर है तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिये अग्रिम जमानत आवेदन विधितः पोषणीय नहीं है।

मैंने अभिलेख सहित कांड दैनिकी का अवलोकन किया। मैं विद्वान अपर लोक अभियोजनक के इस कथन से सहमत हूँ कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 18 के अनुसार इस अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए अग्रिम जमानत आवेदन विधितः पोषणीय नहीं है। अतः यह अग्रिम जमानत **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह
सह विशेष न्यायालय, जमुई।